(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना संख्या 03/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक 19 अप्रैल, 2017

विषयः जैविक कृषि उत्पाद (गेहूं गैर–बासमती चावल) और जैविक संसाधित उत्पाद (खाद्य तेल और चीनी) के निर्यात पर मात्रात्मक अधिकतम सीमा और निर्यात प्रतिबंध के अनुप्रयोग से छूट और दलहन एवं मसूर दाल पर निर्यात की मात्रात्मक अधिकतम सीमा को बढ़ाना।

सा. आ. (अ.) विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं0 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा विधिवत प्रमाणित जैविक कृषि उत्पादों (गेहूं, गैर–बासमती चावल और दलहन एवं मसूर दाल) और जैविक संसाधित उत्पादों (खाद्य तेल और चीनी) की निर्यात नीति में निम्नलिखित संशोधन करती है:

(क) सीमाशुल्क ईडीआई पत्तनों से निम्नलिखित मदों के निर्यात को एनपीओपी के तहत जैविक के रुप में एपीडा द्वारा विधिवत प्रमाणन के साथ सभी मात्रात्मक अधिकतम सीमा से तत्काल प्रभाव से छूट प्रदान की गई है चाहे उनके मूलभूत उत्पाद (गैर–जैविक) के निर्यात पर कोई मौजूदा या भावी प्रतिबंध/निषेध जो हो:–

(i) जैविक गेहूं
(ii) जैविक गैर–बासमती चावल (भूसी युक्त चावल–धान या अनकूटा चावल को छोड़कर)
(iii) जैविक खाद्य तेल
(iv) जैविक चीनी

(ख) जैविक दलहन और मसूर की दालों के निर्यात के संबंध में मात्रात्मक अधिकतम सीमा तत्काल प्रभाव से प्रतिवर्ष 10,000 मी0 ट0 से बढ़ाकर 50,000 मी0 ट0 कर दी गई है जिन्हें एपीडा द्वारा जैविक दलहन और मसूर की दाल के रुप में विधिवत प्रमाणित किया गया है और जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

(i) निर्यात संबंधी संविदाओं को पोत लदान से पूर्व एपीडा, नई दिल्ली में पंजीकृत होना चाहिए।
(ii) निर्यात केवल सीमाशुल्क विभाग के ईडीआई पत्तनों से ही अनुमत होगा।

2. **इस अधिसूचना का प्रभावः**

जैविक कृषि और जैविक संसाधित उत्पाद अर्थात् गेहूं, गैर–बासमती चावल, खाद्य तेल, चीनी के निर्यात को मौजूदा मात्रात्मक अधिकतम सीमाओं और अपने मूल उत्पाद (गैर–जैविक) के निर्यात पर किसी भी मौजूदा अथवा भावी प्रतिबंध/निषेध से छूट दी गई है। जैविक दलहन और मसूर की दालों के निर्यात की वार्षिक मात्रात्मक अधिकतम सीमा को प्रतिवर्ष मौजूदा 10,000 मी.ट. से बढ़ाकर 50,000 मी.ट. कर दिया गया है।

(ए. के. भल्ला)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/91/180/190/एएम–15/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)